

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक 1670-व-3-2023/3427

चण्डीगढ़ दिनांक 29/05/2023

विषय:-

Diversion of 3.5 ha. of forest land for laying og Sewerge pipeline along Agra Canal form Kheri Village to Mirjapur Village, under forest division and district Faridabad, Haryana.

(Online Proposal No.FP/HR/others/41984/2019).

उपरोक्त विषय पर अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०) हरियाणा पंचकूला की सिफारिश के दृष्टिगत मुख्य वन संरक्षक, ने मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, अम्बाला द्वारा **Executive Engineer Muncipal Corporation Faridabad Haryana.** के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव को वन संक्षण अधिनियम 1980 में दिये प्रावधान के अनुसार सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया है। इस प्रस्ताव में 3.5 है० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 489 वृक्ष (वाल्याम 75.67 एम३) व 330 पौधे बाधक हैं, जो कटवाये जायेंगे। यह स्थल किसी भी प्रतिबंधित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। इस प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। इस प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजेन्सी से कैम्पा के लेखा में निम्न प्रकार से जमा करवाई जायेगी।

क्र०सं०	विवरण	राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	5022640.00
2.	अति० प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	473563.20
3	Barbed Wire Fencing Charges	5000000.00
4	Supervisory Charges(A+B)	1049620.32
5	नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फोरेस्ट लैण्ड	4300065.00
6	Felling charges	90804
7	Others Charges	346374.70
	Total	16283067.22

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Chainsa Distributary RD 15-40 L&R Side पर प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त राशि से 7660 पौधे लगवाए जायेंगे। इस प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। संदर्भ में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जानी है। इसके उपरान्त इस प्रस्ताव को संतुष्टि उपरान्त सरकार को ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक (प्रशासकीय शाखा)
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

Full Title of the Project : Diversion of 3.5 ha of forest land for laying of Sewerge Pipeline along Agra Canal from Kheri Village to Mirjapur village, Under Forest Division and District Faridabad, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Others/41984/2019

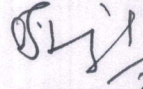
PART-V

(to be filled in by the Secretary incharge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Govt. not below the rank of an Under Secretary)

18.	Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part-III or Part-IV above should be specifically commented upon)	Recommended for approval.
-----	--	----------------------------------

Date : 29/05/2023

Place : Chandigarh

Signature  29/05/2023

Name: **Dr. T.P Singh,**
Secretary to Govt. of Haryana,
Forest & Wildlife Department
Office Seal: **Secretary to Govt. of Haryana,**
Forest Department